झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल, नेपाल हाउस कैम्पस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड–834002

संकल्प

विषयः–अंशकालीन व्याख्याताओं (संप्रति आवश्यकता आधारित शिक्षक) को रखने संबंधी पूर्व के संकल्प, जिसमें AICTE द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात में अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी प्रावधान के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पर्याप्त सृजित पदों के अभाव में पूर्व से रखे गये स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक के मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा Food Technology शाखा एवं Architecture Assistantship शाखा में शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में पूर्व से नामांकित छात्रों के पठन–पाठन हेतु दोनों शाखाओं में तत्कालीक व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार 05–05 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में तथा संस्थानों में नियमित शिक्षकों की कमी एवं नये पाठ्यक्रमों में पद सृजन के अभाव के कारण राज्य गठन के पूर्व से ही राजकीय अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं के माध्यम से संस्थानों के पठन–पाठन का कार्य कराया जाता रहा है। पूर्व में विभागीय संकल्प–3397, दिनांक–26.11.2010 द्वारा अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 250/– रूपये (अधिकतम 12,500/–) तथा विभागीय संकल्प–2890, दिनांक–11.12.2015 द्वारा अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 400/– रूपये (अधिकतम 60 व्याख्यान, मासिक रूपये 24,000/–) निर्गत किया गया था। जिसके आलोक में संस्थानों में अंशकालीन व्याख्याताओं को संस्थान स्तर से कार्यानुमति प्रदान किया जाता था।

2. अंशकालीन शिक्षकों द्वारा मासिक मानेदय में वृद्धि करने तथा न्यूनतम Classes की संख्या निर्धारित करने संबंधी अनुरोध के आलोक में विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के अंशकालीन व्याख्याताओं (वर्तमान में आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक नामित) के मानदेय बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त संकल्प में आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध रखे जाने का प्रावधान है।

3. मानदेय बढ़ोतरी के पूर्व विभागीय संकल्प–2890, दिनांक–11.12.2015 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान 400/– रूपये (अधिकतम 60 व्याख्यान, मासिक रूपये 24,000/–) था, जबकि विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु मासिक मानदेय 56,100/– (प्रति सप्ताह औसतन 18 व्याख्यान) एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु 57,700/– रूपये (प्रति सप्ताह औसतन 16 व्याख्यान) हो गया है।

4. पूर्व के संकल्पों (विभागीय संकल्प–3397, दिनांक–26.11.2010 एवं विभागीय संकल्प–2890, दिनांक–11.12.2015) में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के आवश्यकतानुसार न्यूनतम संख्या में अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी प्रावधान थे, जिसके आलोक में संस्थानों द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार संस्थान स्तर पर साक्षात्कार आयोजित कराते हुए चयनित अभ्यर्थियों को कार्यानुमति दी गयी। उल्लेखनीय है कि 13 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में AICTE Norms के अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का पद सृजित नहीं रहने के कारण पूर्व से ही पदों के Restructuring का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष उपस्थापित था। इसी दौरान आवश्यकता आधारित शिक्षकों के मानदेय वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार कम रहने के कारण आवश्यकता आधारित शिक्षकों (तत्कालीन अंशकालीन व्याख्याता) द्वारा मानदेय बढ़ोतरी करने के अनुरोध पर विभाग स्तर से इनके मानदेय बढ़ोतरी समेत अन्य प्रस्ताव तैयार करते हुए संचिका उपस्थापित किया गया। आवश्यकता आधारित शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 निर्गत की गयी। सरकार स्तर से अपरिहार्य कारणवश 13 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में AICTE Norms के अनुसार पदों के Restructuring संबंधी संकल्प निर्गत होने में विलम्ब हुआ, जो विभागीय संकल्प–1114 द्वारा दिनांक–05.12.2023 को निर्गत हुई।

मानदेय बढ़ोतरी संबंधी विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 को निर्गत हुई एवं उक्त संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध रखे जाने का प्रावधान है। जबकि पदों के Restructuring संबंधी संकल्प–1114, दिनांक–05.12.2023 को निर्गत हुई। इस कारण कई शाखाओं/विषयों में पर्याप्त स्वीकृत पद के अभाव में पूर्व से कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी संबंधी विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के निर्गत होने के उपरांत भी संस्थानहित एवं छात्रहित में कार्य करते रहे। चुंकि सभी आवश्यकता आधारित शिक्षकों को कार्यानुमति एक ही प्रक्रिया के तहत दी गयी है एवं ये समान कार्य कर रहे है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के तहत इनके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप इन्हें समान रूप से बढ़े हुए मानदेय का भुगतान किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः उपरोक्त परिस्थिति से उत्पन्न विसंगती के निराकरण हेतु पर्याप्त सृजित पदों के अभाव में पूर्व के संकल्पानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के आवश्यकतानुसार न्यूनतम संख्या में अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी प्रावधान के आलोक में दिनांक–10.05.2023 (मानदेय बढ़ोतरी संबंधी संकल्प) एवं दिनांक–05.12.2023 (पद Restructuring संबंधी संकल्प) के बीच के तिथि में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक के मानदेय का भुगतान, बढ़ी हुई मानदेय के अनुसार किया जाना है। साथ ही 04 नये पोलिटेकनिक संस्थानों में स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को भी बढ़ी हुई मानदेय के अनुसार भुगतान किया जाना है।

6. कार्यालय आदेश–653, दिनांक–19.06.2023 द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक–29.11.2023 को सम्पन्न बैठक में राजकीय पोलिटेकनिक, भागा में Food Technology शाखा तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में Architecture Assistantship शाखा में आगामी शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से नामांकन नहीं लिये जाने की अनुशंसा की गयी है। छात्रों के नामांकन का रूझान की कमी के मद्देनजर इन शाखाओं में शिक्षकों के पदों का सृजन भी नहीं किया गया है। किन्तु वर्तमान में इन शाखाओं में शैक्षणिक वर्ष 2023–24 एवं उनके पूर्व के शैक्षणिक वर्ष में नामांकित छात्रों के कोर्स पूरा होने तक इन शाखाओं में शिक्षकों की आवश्यकता है, इसलिए इन शाखाओं में अन्य शाखाओं की भांति आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए शैक्षणिक कार्य संपादित किया जाय। उक्त दोनों शाखाओं में तत्कालीक व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार 05–05 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने हेतु कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

साथ ही पद के Restructuring संबंधी विभागीय संकल्प–1114, दिनांक–05.12.2023 निर्गत होने के पश्चात् विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के आलोक में सभी कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों (तत्कालीन अंशकालीन व्याख्याता) को बढ़ी हुई मानदेय के अनुसार मानदेय भुगतान करने एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से लिये जाने के शर्त पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री से आदेश प्राप्त कर निदेशालीय पत्रांक–204 दिनांक–28.02.2024 निर्गत किया गया तथा सृजित पद से अतिरिक्त कार्यरत रहने के कारण/AICTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने के कारण/संस्थान में व्याख्याता हेतु शाखावार/विषयवार स्वीकृत पद से इतर अन्य शाखा/विषय में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश निदेशालीय पत्रांक–203 दिनांक–28.02.2024 निर्गत किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत रहने के कारण संस्थानों से हटाये गये आवश्यकता आधारित शिक्षक का संबंधित शाखा में अन्य संस्थान में पद रिक्त है, को हटाये गये शिक्षकों से भरा जा सकता है। जिससे हटाये गये अनुभवी आवश्यकता आधारित शिक्षक अन्य संस्थान के स्वीकृत पद के विरूद्ध रखे जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है–

7. **अंशकालीन व्याख्याताओं (सम्प्रति आवश्यकता आधारित शिक्षक) के मानदेय भुगतान के संबंध में–**

   i. अंशकालीन व्याख्याताओं (सम्प्रति आवश्यकता आधारित शिक्षक) को रखने संबंधी पूर्व के संकल्प (विभागीय संकल्प–2890, दिनांक–11.12.2015), जिसमें AICTE द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात में अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी प्रावधान है, के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पर्याप्त सृजित पदों के अभाव में पूर्व से रखे गये स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों के दिनांक–10.05.2023 (मानदेय बढ़ोतरी संबंधी संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023) से दिनांक–05.12.2023 (पद स्वीकृति संबंधी संकल्प–1114, दिनांक–05.12.2023) के बीच के अवधि में बढ़ी हुई दर के आधार पर मानदेय भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii. पद स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प–1114, दिनांक–05.12.2023 के निर्गत के पश्चात कुछेक शाखाओं में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को हटाये जाने तक (दिनांक–06.12.2023 से दिनांक–10.03.2024 तक) उनके द्वारा संस्थान में किये गये कार्य का मानदेय बढ़ोतरी संबंधी संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के आधार पर बढ़े हुए मानदेय के अनुसार भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

iii. 04 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा/साहेबगंज/जगन्नाथपुर एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका में कुछेक शाखाओं में सृजित पद से अतिरिक्त कार्यरत/सृजित पद से इतर शाखा में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षक को हटाये जाने तक (दिनांक–10.05.2023 से दिनांक–10.03.2024 तक) उनके द्वारा संस्थान में किये गये कार्य का मानदेय भुगतान विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के आधार पर करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

iv. उपरोक्त पर व्यय राशि 4,52,90,347 /– (चार करोड़ बावन लाख नब्बे हजार तीन सौ सैंतालीस) रूपये मात्र है।

8. **Food Technology शाखा एवं Architecture Assistantship शाखा में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने के संबंध में–**

i. राजकीय पोलिटेकनिक, भागा में Food Technology शाखा तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में Architecture Assistantship शाखा में पद स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में शैक्षणिक वर्ष 2023–24 एवं उनके पूर्व के शैक्षणिक वर्ष में नामांकित छात्रों के पठन–पाठन हेतु दोनों शाखाओं में तत्कालीक व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार 05–05 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने (जुलाई 2024 से जुलाई 2026 तक, कुल 02 वर्ष 01 माह) एवं उनके मानदेय भुगतान विभागीय संकल्प–543, दिनांक–10.05.2023 के आधार पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ii. उपरोक्त पर अनुमानित व्यय राशि 1,40,25,000/– (एक करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र होने की संभावना है।

9. **निदेशालीय पत्रांक–203, दिनांक–28.02.2024 द्वारा हटाये गये आवश्यकता आधारित शिक्षकों के संबंध में–**

i. निदेशालीय पत्रांक–203, दिनांक–28.02.2024 द्वारा जिन आवश्यकता आधारित शिक्षकों को संस्थान में संबंधित शाखा/विषय में स्वीकृत पद के अतिरिक्त रहने के कारण हटाया गया है, को अन्य संस्थान में उस शाखा/विषय में पद रिक्त रहने की स्थिति में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के स्तर से समीक्षा कर अलग से कार्यानुमति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आवश्यकता आधारित शिक्षक को मानदेय का भुगतान कार्यानुमति प्रदान करने के उपरांत संस्थान में योगदान करने की तिथि से देय होगा। संबंधित आवश्यकता आधारित शिक्षक का अवधि विस्तार राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान में व्याख्याताओं की नियमित/बैकलॉग नियुक्ति होने तक

अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) मान्य होगा। यदि नियमित/बैकलॉग नियुक्ति के उपरांत कुछ पद रिक्त रह जाते है, तो रिक्त पदों पर किन आवश्यकता आधारित शिक्षकों की सेवा बरकरार रखी जाय, के संबंध में निर्णय उनके योगदान की तिथि के क्रमानुसार किया जायेगा। जिन आवश्यकता आधारित शिक्षकों के योगदान की तिथि पहले होगी, उन्हें वरीयता दिया जायेगा। यदि योगदान की तिथि समान होगी, तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जायेगा। यदि फिर भी deadlock हो, तो अंग्रेजी में नाम के वर्ण के क्रमानुसार वरीयता निर्धारित किया जायेगा।

ii. यह व्यवस्था मात्र निदेशालीय पत्रांक–203, दिनांक–28.02.2024 द्वारा हटाये गये आवश्यकता आधारित शिक्षकों के मामले में एकबारीय लागू होगी तथा किसी भी अन्य मामले में इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाएगा।

iii. AICTE/विभागीय संकल्प/नियम आदि का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण अथवा वांछनीय डिग्री नहीं रहने के कारण हटाये गये आवश्यकता आधारित शिक्षकों के मामले में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–07.08.2024 में मद संख्या–33 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0/विविध–48/2023– /राँची, दिनांकः
प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0/विविध–48/2023– /राँची, दिनांकः
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0/विविध–48/2023–685 /राँची, दिनांकः–14.08.2024
प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय बजट शाखा/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को ई–गजट में प्रकाशनार्थ/श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी, तकनीकी सहायता समूह को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.8.24
सरकार के प्रधान सचिव।